न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय द्वितीय, हापुड।
उपस्थितः वीरेश चंद्रा (उच्चतर न्यायिक सेवा) (UP1801)
अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र सं० 1428/2026

UPHP010049012026

राहुल राघव पुत्र दुष्यंत कुमार निवासी 106 ग्राम रायपुर थाना शिकारपुर जिला बुलन्दशहर।

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार।

मु०अ०सं० 345/2020
धारा–420 406 323 504 506 भा0द0स0
थाना– धौलाना
जिला–हापुड।

आदेश

दिनांकः 27.07.2026

आवेदक/अभियुक्त राहुल राघव पुत्र दुष्यंत कुमार की ओर से तृतीय अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र उपरोक्त प्रकरण में प्रस्तुत किया गया।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह कथन किया गया है कि अभियुक्त ने चुटैल/ पीडिता के साथ कोई घटना कारित नहीं की है, ना ही कोई धोखा व छल किया है। अभियुक्त के विरूद्व कोई स्वतंत्र साक्ष्य नहीं है। पीडिता के सभी गवाहन इंटरेस्टिड गवाहन है, तथा घर के है। प्रथम सूचना रिपोर्ट सीधे थाना धौलाना हापुड पर नहीं दी गयी थी, योजनाबद्व तरीके से वादी मुकदमा द्वारा अभियुक्तगण पर दबाव बनाने हेतु फर्जी व झूठे कथनों पर पुलिस अधीक्षक महोदय हापुड़ के माध्यम से रिपोर्ट थाना हाजा पर दर्ज करायी गयी थी। उक्त मुकदमें में आरोप पत्र प्रेषित किया गया है। अभियुक्त किसी भी सरकारी विभाग में कार्यरत नहीं है। अभियुक्त ने वादी को उसके भाईयों की कोई नौकरी लगवाने हेतु आश्वासन कभी नहीं दिया ना ही कोई रूपया झूंठ बोलकर कभी गवाहन के सामने प्राप्त नहीं किया है। एफ0आई0आर0 में मारपीट व गाली गलौच जान से मार देने की बावत कोई घटना की दिनांक व समय भी अंकित नहीं है, सभी गवाहन वादी के अपने हैं, तथा आपस में साज है, कोई स्वतंत्र साक्ष्य भी नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त माननीय न्यायालय की संतुष्टि हेतु अपनी उचित जमानत देने को तैयार है। अतः अग्रिम जमानत पर छोडे जाने की प्रार्थना की गयी।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि प्रार्थी एक सीधा सादा व्यक्ति है परन्तु विपक्षीगण 1–सोहित राघव 2– शिवम राघव, पुत्रगण सुरेन्द्र कुमार राघव, निवासीगण ग्राम चिरौली थाना व पोस्ट पवासा जिला सभल व 3 राहुल राघव. 4– शिवा राघव पुत्रगण नामालूम निवासीगण संभल एक निहायत ही सरकस चालाक किस्म के व्यक्ति है तथा विपक्षी सं01 भारतीय सेना में जी० डी० के पद पर कार्यरत है। विपक्षी स०. 2 दिनांक 20–4 2019 को प्रार्थी के घर पर आया तथा प्रार्थी से बोला कि मेरा भाई सोहित राघव रेलवे में ग्रुप डी मे गेटमैन के पद पर नोकरी लगवाता है यदि किसी को गुप डी मे नौकरी लगवानी है तो मुझे बता देना, हम उसका काम करा देगे। तब

विपक्षीगण सोहित राघव व शिवम राघव से प्रार्थी ने अपने भाई सुमित चौहान व प्रदीप चौहान ग्रुप सी में नौकरी लगवानी को कहा तो सोहित राघव ने कहा कि एक लड़के के लिये 6 लाख रुपये का खर्चा आयेगा जिसमें 3 लाख रुपये पहले व 3 लाख रुपये पोस्टिंग लैटर के समय देने होगे तब प्रार्थी ने सोहित से कहा कि 12 लाख रुपये एक साथ नही दे पायेगे तो सोहित राघव ने कहा कि तुम से एकाउन्ट सं० 7051244904 पर जितने रुपये तुम पर होते रहे उतने रुपये डालते रहना हम तुम्हारे भाईयो की नौकरी लगवा देंगे तथा शिवम राधव प्रार्थी के भाईयो के कागजात लेकर चले गये तब सोहित राघव ने कहा कि तुम्हारे भाईयों की मेरे फाईल तैयार हो गयी है। तुम पैमेन्ट भेज दो तब प्रार्थी ने दिनांक 24.9.2019 को सोहित राघव के एकाउन्ट में 90 हजार रुपये व दिनांक 25.4.19 व 26.4.19 को अकन 1,10,000) रुपये पे फोन द्वारा डाले तथा शिवम राधव के एकाउन्ट सं० 37183450377 में दिनांक 5.8.2019 को अंकन 75000) रुपये व दिनांक 5.8.2019 को अकन 50000 रुपये पे फोन द्वारा व दिनांक 14.8.2019 को पे फोन द्वारा 15000) रुपये व दिनांक 16.8.2019 को 25000) रुपये एकाउन्ट में व दिनांक 16.8.2019 को 40000) रुपये पे फोन द्वारा व दिनांक 17.8.2019 को एकाउन्ट में 35000 रुपये व दिनांक 19.8.2019 को एकाउन्ट में 75000 रुपये व 55000 रुपये पे फोन द्वारा व दिनांक 20.8.2019 को एकाउन्ट में 50000) रुपये व कुल अंकन 2,00,000) रुपये डाले व पे फोन द्वारा दिनांक 25.7.19 को 94000) रुपये शिवा राघव के एकाउन्ट मे डाले तथा दिनांक 19.8.2019 को राहुल राघव के एकाउन्ट में 50000) रुपये डाले तथा दिनांक 3.5.19 को समझ गवाहान 4,00,000) रुपये कैश सोहित राघव शिवम राघव व राहुल राधव ने नकद लिये इसके बाद प्रार्थी ने उक्त सभी से पूछताछ की कि मेरे भाईयो की नौकरी का क्या हुआ तो बोले की जल्दी काम हो जायेगा तब कुछ समय पश्चात प्रार्थी ने शिवम राघव से अपने भाईयों की नौकरी के बारे में पूछा तो शिवम ने कहा कि तुम्हारे भाई शिवम चौहान का काम हो गया है उसका पोस्टिंग लैटर एक दो दिन में आय जायेगा तथा प्रदीप की फाईल भी 2–4 दिन में पास में हो जायेगी तथा दिनांक 5.7.2019 को प्रार्थी के फोन पर आया और बोला कि सुमित व प्रदीप का मेडीकल दिनाक 8.7.2019 को दिल्ली राजीव क गेट नम्बर 02 रेलवे हास्पीटल में 12 बजे होना है इन्हे लेकर आ जाना तथा दिनाक 8.7.2019 को मेडीकल के लिये 2 लाख रुपये मांगे तथा दिनांक 15.7.2019 को एल फर्जी पोस्टिंग लैटर अर्स्टन रेलवे कोलकता के नाम से दिया तथा प्रार्थी ने प्रदीप के पोस्टिंग लेटर के बारे में पूछा तो बोला कि दो दिन में प्रदीप का लेटर पहुँच जायेगा तथा दिनांक 24.7.2019 को चक्रटारपुर डिवीजन में प्रार्थी के भाई की फर्जी ट्रेनिग उक्त द्वारा करायी गयी तथा 25.8.2019 को प्रार्थी के भाई प्रदीप चौहान का फर्जी पोस्टिंग लेटर अर्स्टन रेलवे कोलकत्ता के नाम का दिया गया तथा जब प्रार्थी का भाई पोस्टिंग लैटर चक्रदारपुर डिवीजन पर पहुँचा तो प्रार्थी के भाई को गेट के अन्दर जाने से रोक दिया गया और कहा कि यह फर्जी लेटर है यहाँ से चले जाओ वरना जेल जाओगे जब प्रार्थी ने उपरोक्त तीनो से प्रार्थी व प्रार्थी के भाई के साथ इस प्रकार छल कपट धोखा घडी करके रुपये हडपने व फर्जी ट्रैनिंग कराने व फर्जी जोईनिंग लैटर देने के बारे में कहन सुनन किया तो उक्त चारो ने प्रार्थी को माँ बहिन की गन्दी गन्दी गालिया देकर प्रार्थी के साथ हाथापाई करते हुये कहा कि साले हम तो लोगो के साथ ऐसे ही धोखाधडी छल कपड करके नौकरी लगवाने के बहाने रुपये हडपते है हमने तुन्हारे साथ भी छल कपट धोखाधड़ी करके रुपये हड़प लिये है तुम पर जो हमारा बिगडता हो बिगाड लेना तथा प्रार्थी को कही शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी प्रार्थी उक्त घटना की रिपोर्ट लिखाने थाना धौलाना गया परन्तु थाने वालो ने प्रार्थी की रिपोर्ट दर्ज नहीं की अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि

प्रार्थी की रिपोर्ट थाना धौलाना पर दर्ज करने व प्रार्थी के रुपये व प्रार्थी के भाईयो के असल कागजात दिलवाने की कृपा करे।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता की तर्कपूर्ण बहस को सुना तथा पत्रावली का सम्यक् परिशीलन किया।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा जमानत का विरोध किया तथा कथन किया कि अभियुक्त का अपराध गंभीर प्रकृति का है। जमानत का कोई आधार नहीं है। पूर्व में अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र खारिज हो चुका है। अतः अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने की प्रार्थना की गयी।

पुलिस प्रपत्रों एवं जमानत प्रार्थना पत्र का अवलोकन करने से विदित होता है कि अभियुक्त पर सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर, वादी मुकदमा से नौकरी लगवाने के नाम पर छल कपट व धोखाधडी करके रूपये हडपने गाली गलौच करने व मारपीट कर, जान से मारने की धमकी देने का आरोप है। उक्त मुकदमें में विवेचक द्वारा अभियुक्त के विरूद्व आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित कर दिया गया है, जिस पर न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया जा चुका है। वर्तमान में पत्रावली में अभियुक्त के अनुपस्थित होने के कारण अभियुक्त के विरूद्व गैर जमानती वारंट एवं 82 सीआर0पी0सी0 की कार्यवाही प्रचलित है। जिससे पत्रावली के विचारण में विलंब हो रहा है। उक्त मुकदमें में सह–अभियुक्त की तृतीय अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पूर्व में निरस्त किया जा चुका है। अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर छोडे जाने का पर्याप्त आधार नहीं है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त का तृतीय अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

मुकदमा अपराध संख्या 345/2020 धारा–420 406 323 504 506 भा0द0स0 थाना– धौलाना जिला–हापुड के प्रकरण में अभियुक्त राहुल राघव पुत्र दुष्यंत कुमार का प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
त्वरित न्यायालय द्वितीय
हापुड।

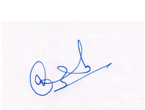

Digitally signed by
VIRESH CHANDRA
Date: 2026.07.27
22:27:14 IST
Reason: B O
Location: District and
Sessions Court
Hapur